राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1662 / SEIAA/2022
Date: 23/9/22

प्रति,

मेसर्स आर.के. स्टोन कंपनी,
पार्टनर, श्री आशिफ खान आत्मज श्री असलम खान
एवं श्री आबिद खान आत्मज श्री असलम खान,
निवासी वार्ड नं. 08, खुदवाडी मोहल्ला,
बखोद रोड़, तहसील–आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.)

विषय :– प्रकरण क्र. 6769/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर.के. स्टोन कंपनी, पार्टनर, श्री आशिफ खान आत्मज श्री असलम खान एवं श्री आबिद खान आत्मज श्री असलम खान, निवासी वार्ड नं. 08, खुदवाडी मोहल्ला, बखोद रोड़, तहसील–आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5044 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 385/2/2, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम जीवनगढ़, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।

प्रकरण पर **746वी** SEIAA **बैठक दिनांक 13.09.2022** में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया .....

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 578वीं बैठक दिनांक 16.06.2022 एवं 591वीं बैठक दिनांक 27.08.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार खदान क्षेत्र से 90 मीटर की दूरी पर पक्की सड़क होना परिलक्षित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्रस्तावित खदान से 200 मीटर दूरी छोड़ने के उपरांत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः परियोजना प्रस्तावक अपने पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।"

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA **बैठक** में उपस्थित होकर प्रकरण में पक्ष प्रस्तुत करें।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

o/c